राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज विभाग)

क्रमांकःएफ 28( )पंरावि/प्रशा.2/पंचा.प्र.अ./सेवा.निवृत्त/2018/1261 जयपुर,दिनांकः 15.3.18

:: आ दे श ::

निम्न कार्मिक पंचायत प्रसार अधिकारियों के रूप में अधीनस्थ सेवा में कार्यरत थे, को अधिवार्षिता की आयु पूरी कर लेने से उनके नाम के सामने अंकित तिथि से, सरकारी सेवा से सेवानिवृत किया जाता हैः–

क्र.सं.	नाम पंचायत प्रसार अधिकारी	वर्तमान पस्थापित स्थान	सेवानिवृति तिथि
1	श्री रमेश चन्द्र गोयल	पं.स. बौली (सवाईमाधोपुर)	31.03.2018
2	श्री सुखपाल गुर्जर	पं.स. छबड़ा (बारां)	31.07.2018
3	श्री रामचरण शर्मा	पं.स. सुल्तानपुर (कोटा)	31.07.2018
4	श्री ललित कुमार शर्मा	पं.स. भीनमाल (जालोर)	31.07.2018
5	श्री महावीर सिंह चौधरी	पं.स. चित्तौडगढ़	31.12.2018

यह प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर नामित पंचायत प्रसार अधिकारियों के विरूद्ध आज तकः–

(1) राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम,1958 के नियम–16 के अधीन कोई विभागीय जॉच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
(2) राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम,1958 के नियम–19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
(3) कोई न्यायिक कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।

आज्ञा से,

(पूनम प्रसाद सागर)
संयुक्त सचिव एवं उपायुक्त

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित है :–

1. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. मुख्य / अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद सवाईमाधोपुर, बारां, कोटा, जालोर, चित्तौडगढ़ को प्रेषित कर लेख है कि उक्त पंचायत प्रसार अधिकारियों के विभागीय जॉच बकाया नहीं होने का प्रमाणीकरण आप द्वारा प्रेषित प्रमाण पत्रो के आधार पर किया गया है। अतः उक्त कार्मिको के सेवानिवृत्ति तक किसी प्रकार की प्रतिकूल कार्यवाही विरचित होने पर पेंशन विभाग एवं इस कार्यालय को अवगत कराते हुए नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें।
4. विकास अधिकारी, पं.स. बौली (सवाईमाधोपुर), छबड़ा (बारां), सुल्तानपुर (कोटा), भीनमाल (जालोर), चित्तौडगढ़
5. आदेश में वर्णित संबंधित पंचायत प्रसार अधिकारी
6. ए.सी.पी., मुख्यालय को विभागीय वेबसाईड पर अपलोड करने हेतु।
7. आदेश / रक्षित पत्रावली

संयुक्त सचिव एवं उपायुक्त